उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-1/2019-20

टीपलाल साह उर्फ टुकलाल साह

बनाम्

वीणा देवी एवं अन्य

-: आदेश :-

दिनांक	
	उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखवद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता टीपलाल साह उर्फ टुकलाल साह, पे0-स्व0 करमनी साह, सा0-घाट भागाबाँध, थाना-महागामा, जिला-गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0-119/2016-17 आदेश दिनांक-17.12.2018 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने आर0ई0आर0 केश नं0-119/2016-17 के आदेश दिनांक-17.12.2018 के द्वारा मौजा-लहठी जमाबंदी सं0-20 दाग नं0-349 रकवा 00-08-13 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-लहठी जमाबंदी सं0-20 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में आलम साह के नाम से दर्ज है। आलम साह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र कारू साह दिनांक-10.10.1936 को उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0-349 रकवा 00-08-13 धुर जमीन करमनी साह, पे0-मुकुन्द साह को कुर्फा बंदोवस्ती के द्वारा हस्तान्तरण किया। कुर्फा बंदोवस्ती से प्राप्त होने के बाद करमनी साह उक्त जमीन पर मकान का निर्माण किया तथा उस पर परिवार के साथ निवास करने लगे। करमनी साह की मृत्यु के बाद उक्त जमीन पर उनका पुत्र टुकलाल साह एवं भाई नंदलाल साह तथा पुत्री उर्मिला देवी निवास करने लगे। करमनी साह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र एवं पुत्री उक्त जमीन का आपसी बँटवारा कर लिया तथा बँटवारा के अनुसार अपीलकर्त्ता को उक्त दाग नं0 के अन्तर्गत रकवा 00-01-08 धुर जमीन प्राप्त हुआ और उस पर अपीलकर्त्ता पक्का का मकान बनाकर सपरिवार निवास कर रहे हैं। शेष जमीन पर उनका भाई एवं बहन दखलकार हैं। वर्ष 2011 में जगदीश साह, पे0-कारू साह के द्वारा आपत्ति किये जाने पर एक पंचायती भी हुआ था।

उस पंचायती में जगदीश साह के द्वारा स्वीकार किया गया कि उक्त जमीन कारू साह के द्वारा कुर्फा से वर्ष 1936 ई0 में करमनी साह को दिया है। जगदीश साह के द्वारा दिनांक–31.10.2011 को गोड्डा न्यायालय में शपथ पत्र भी बना दिया है तथा उस शपथ पत्र में उल्लेख किया गया है कि उक्त जमीन अपीलकर्त्ता के पूर्वज को वर्ष 1936 ई0 में जगदीश साह के पिता कारू साह के द्वारा कुर्फा बंदोवस्ती से दिया गया है और अपीलकर्त्ता के पूर्वज उसी समय से उक्त जमीन पर मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। इस प्रकार जगदीश साह के द्वारा अपीलकर्त्ता के दावा एवं प्रतिकूल प्रभाव से दखल को शपथ पत्र के माध्यम से स्वीकार किया गया है। जगदीश साह उत्तरवादी वीणा देवी के ससूर है और उत्तरवादी वीणा देवी के पति भी जीवित है और ससूर और पति के जीवित रहते हुए उत्तरवादी वीणा देवी को अपीलकर्त्ता के विरूद्ध वाद दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। उत्तरवादी वीणा देवी के द्वारा अपीलकर्त्ता को भयादोहन करके आर्थिक अर्जन के लिए वाद दायर किया गया है। ससूर एवं पति के जीवित रहते उत्तरवादी को उक्त जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्ता के द्वारा अपील अवधि को क्षान्त करने के लिए अपील आवेदन के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत आवेदन दिया गया है। अपील आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में उत्तरवादी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिश दिया गया।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी प्रथम पक्ष वीणा देवी एक वेवस एवं असहाय महिला है, क्योंकि इनके पति हरिचंद्र साह का दिमागी हालत ठीक नहीं है, जिनका नाजायज फायदा उठाकर इनके ससूर जगदीश साह अपीलकर्त्ता के साथ मिलकर उत्तरवादी प्रथम पक्ष वीणा देवी पति के हिस्से एवं दखल कब्जे की जमीन मौजा–लहठी जमाबंदी नं0–20 दाग नं0–349 रकवा 00–08–13 धुर जमीन का अवैध तरीका से बिक्री कर हस्तांतरण कर दिया है, जिस पर अपीलकर्त्ता द्वारा जबरन तल्ली काटते समय उत्तरवादी प्रथम पक्ष वीणा देवी के द्वारा रोक लगाने पर अपीलकर्त्ता ने इन्हें उक्त तल्ली में गाड़ देने का धमकी दिये थे। तब उत्तरवादी प्रथम पक्ष वीणा देवी के द्वारा इस संबंध में थाना प्रभारी,

महागामा तथा पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को दिनांक–04.11.2011 को आवेदन पत्र समर्पित कर अपीलकर्त्ता द्वारा जबरन निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए प्रार्थना किये थे। अपीलकर्त्ता पेशे से सरकारी शिक्षक एवं काफी पैसे वाला होने के कारण पुलिस को अपने मेल में लाकर जबरन उपरोक्त वर्णित जमीन पर घेराबंदी कर इस पर नाजायज तरीके से कब्जा कर लिये। अपीलकर्त्ता द्वारा उक्त जमीन कुर्का द्वारा वर्ष 1936 में हासिल किये जाने का दावा सरासर गलत एवं सत्य से परे है। यदि वर्ष 1936 में उक्त जमीन का हस्तान्तरण अपीलकर्त्ता या इनके पूर्वज के साथ होता तो निश्चित रूप से वर्तमान सर्वे तसदीक में तथा रजिस्टर–2 में अपीलकर्त्ता का नाम दर्ज होता तथा उक्त जमीन का मालगुजारी रसीद उनके पास होता, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। इस संबंध में अपीलकर्त्ता द्वारा निम्न न्यायालय में कोई भी कागजात दाखिल नहीं किये हैं। उनका आगे कथन है कि हिन्दु मिताक्षरा कानून के मुताबिक एक साथ तीन पीढ़ी का अधिकार होता है। उत्तरवादी प्रथम पक्ष वीणा देवी के पति हरिचंद साह, जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जगदीश साह के विवाहिता पत्नी के एक मात्र पुत्र हैं। जिन्हें उत्तरवादी प्रथम पक्ष वीणा देवी से तीन संतान नरेन्द्र साह, पंचम कुमार साह एवं दीक्षा कुमारी है। बाद में जगदीश साह ने अपने ज्येष्ठ सास को अपने घर में लाया है और नाजायज फायदा उठाकर अपने सगे पुत्र के हिस्से एवं दखल कब्जे की जमीन का गलत तरीके से अपीलकर्त्ता के साथ खरीद बिक्री कर हस्तांतरण कर दिये। उक्त हस्तांतरण के तुरंत बाद अपीलकर्त्ता द्वारा नाजायज तरीके से उक्त जमीन पर कब्जा करते समय दिनांक–04.11.2011 ई0 को वीणा देवी द्वारा पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को आवेदन देकर जबरन निर्माण कार्य पर रोक लगाने की प्रार्थना किये थे। इस प्रकार अपीलकर्त्ता द्वारा वर्ष 1936 ई0 में उक्त जमीन हस्तांतरण का बात बिल्कुल ही निराधार साबित होता है तथा उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा द्वारा पारित उच्छेदी आदेश बिल्कुल ही सही है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस सुनने एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–लहठी नं0–778 जमाबंदी सं0–20 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में झारू साह वो आलम साह पेशरान फुदू साह वो शापन साह वल्द गोवरधन साह के नाम

9/7

से दर्ज है। अपीलकर्त्ता के द्वारा उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–349 रकवा 00–08–13 धुर जमीन वर्ष 1936 ई0 में कुर्फा बंदोवस्ती से प्राप्त करने का दावा किया है और अपीलकर्त्ता के द्वारा अपने दावा के समर्थन में सादा कुर्फा तथा दिनांक–31.10.2011 को लिखा गया शपथ पत्र दाखिल किया गया है। लेकिन उक्त सादा कुर्फा के साथ उक्त जमीन पर प्रतिकूल प्रभाव से दखल का कोई भी साक्ष्य जनित कागजात दाखिल नहीं किया है। चूँकि अपील वादगत जमीन रैयती जमीन है और रैयती जमीन का हस्तान्तरण संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 के विपरीत है। इस प्रकार यह अवैध हस्तान्तरण का मामला प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के आर0ई0आर0 केश नं0–119/2016–17 आदेश दिनांक–17.12.2018 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है एवं अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को आदेश दिया जाता है कि उत्तरवादी को आठ सप्ताह के अंदर दखल दिहानी दिला कर अनुपालन प्रतिवेदन से न्यायालय को अवगत करावें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

प्रे० ती० – 10
02/02/22

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 18:02:05 +05:30
Location: 192.168.29.8